

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इत्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

संतोष देवी

बनाम

केशर राम आदि

दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 236/दावा/2014

निर्णय दिनांक 13.07.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस बहाजरी श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई व - वकील मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भूअ/15/3650 दिनांक 10.02.2015 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा प्राप्त होने पर अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से दी जाती है:-

1- ग्राम खादूश्यामजी

खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1. संतोष देवी धर्मपत्नी प्रभुदयाल जाति मीणा नि. दौलपुरा तहसील दांतारामगढ	240/1	1.60 है०	बा.4	3.20
2. केशर राम, बनवारी लाल पि. मथुरा प्रसाद जाति जाट हि० 2/3 सुवादेवी धर्मपत्नी श्री हरिराम जाति जाट हि. 1/3 खातेदार	240/2	1.60 है०	बा. 4	3.20
	किता 2	3.20 है०		

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिग..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 जुलाई, 2015 को जारी की गई।



दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
ओहदा

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक	4	00			
मीजान	13	00	मीजान		

नोट: इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बड़जलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं० 236/14/दावा

संतोष देवी धर्मपत्नी श्री प्रभुदयाल आयु 38 साल जाति मीणा निवासी दौलपुरा तहसील
दांतारामगढ जिला सीकर

-वादीया

बनाम

1. केशर राम } पुत्रगण श्री मथुराप्रसाद
2. बनवारीलाल }
3. सुवादेवी धर्मपत्नी श्री हरिराम
समस्त जाति जाट निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति-

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीया की ओर से

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक- 13.07.2015

517
(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ